



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवम् पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 2(1)पंचावि/प्रशा.1/वि.अ./संस्था/स्थाना/पद/APO/2018/ 870.

जयपुर, दिनांक 14-5-19

-:स्पष्टीकरण:-

विभागीय आदेश क्रमांक 433 दिनांक 25.2.19, 479 दिनांक 6.3.19, 490 एवं 491 दिनांक 8.3.19 द्वारा सहायक परियोजना अधिकारी के पदों पर श्री बबलीराम जाट, श्री विशाल सीपा, श्री वैभव अरोडा एवं श्री नरपत सिंह भाटी को जिला परिषद अलवर, डूंगरपुर, हनुमानगढ एवं जैसलमेर पदस्थापित किया गया था। उक्त आदेशों में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि उक्त अधिकारियों का पदस्थापन सहायक परियोजना अधिकारी (एस.जी.एस.वाई.) के पद पर किया गया है अथवा सहायक परियोजना अधिकारी (अभियांत्रिकी) के पद पर किया गया है।

अतः उक्त जिला परिषदों में पदस्थापित सहायक परियोजना अधिकारियों को सहायक परियोजना अधिकारी (एस.जी.एस.वाई.) पढ़ा जावे।

(गौरव चतुर्वेदी)

संयुक्त सचिव एवं उपायुक्त (प्रशा.1)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्राविपरा, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवम् आयुक्त पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त, महानरेगा, राजस्थान जयपुर।
6. अति./मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद।
7. एसीपी मुख्यालय को एक प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेशों को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
8. सम्बन्धित अधिकारी को पालनार्थ।
9. आदेश पत्रावली।

संयुक्त सचिव एवं उपायुक्त (प्रशा.1)